फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

सायलान :–भागूराम पुत्र बचनाराम वगैरह **बनाम** गैर सायलान :– इन्द्रेश पुत्र दुलाराम

किस्म मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र मु.नं. ४२१/सन 2018

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	वकील सायलान उपस्थित। वकील सायलान ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र विरुद्ध गै0सा0 अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट 1955 एवं आदेश 39 नियम 01 व 02 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा आसरलाई पटवार हल्का आसरलाई तहसील जैतारण मे ख.नं. 02 रकबा 00–02 बीघा, ख.नं. 03 रकबा 0–01 बीघा, ख.न 4 रकबा 0–05 बीघा, ख.न 05 रकबा 34 बीघा, ख.नं. 07 रकबा 14–06 बीघा कुल खसरा 05 कुल रकबा 48–14 बीघा भूमि आयी हुई हैं। उक्त विवदित भूमि प्रार्थीगण व अन्य खातेदारान की सामलाती कब्जे काश्त की भूमि हैं। जिसका बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के कोई बंटवाड़ा नही हुआ हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के किसी भी भाग पर अप्रार्थी जो अजनबी केता हैं उसे काबिज होने उपयोग उपभोग करने प्रार्थीगण को बेदखल करने तथा अपने पक्ष में खरीदी हुई भूमि का नामन्तरकरण करवाने से एवं दौराने प्रार्थना पत्र अप्रार्थी खरीदी हुई भूमि का आने पक्ष में नामान्तरकरण करा लेवे तो उसे निरस्त करावें तथा प्रार्थीगण को बेदखल कर कब्जा कर लेवे तो कब्जा हटाया जावे। प्रार्थीगण की सामलाती भूमि के अपने हिस्से अनुसार उपयोग उपभोग करने में अप्रार्थी खरा कोई दखल देने रूकावट करने से गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाकर पाबंन्द किये जाने की ईस्तदुआं की हैं। इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। बहस वकील सायल बाबत् अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में हस्ब प्रार्थना पत्र आज्ञा पारित किये जाने की ईशतदुआं की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा वकील सायल पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः उक्त आराजी में जवाब पेश होने तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गै. सा. को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक सायल विरुद्ध गै0 सा0 इस आशय की जारी की जाती हैं कि सायलान एवं अन्य खातेदारान की संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा आसरलाई पटवार हल्का आसरलाई तहसील जैतारण मे ख.नं. 02 रकबा 00–02 बीघा, ख.नं. 03 रकबा 0–01 बीघा, ख.न 4 रकबा 0–05 बीघा, ख.न 05 रकबा 34 बीघा, ख.नं. 07 रकबा 14–06 बीघा कुल खसरा 05 कुल रकबा 48–14 बीघा उक्त विवादित आराजी में जवाब पेश होने तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गै. सा. को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं। वकील सायलान तलबाना / नोटिसेज तीन दिवस में पेश करें। तलबाना पेश होने पर गै0 सा0 को जरिये रजि0 ए.डी डाक से नोटिसेज हो कि वह वजह जाहिर करें कि क्यों नहीं उक्त आदेश को वाद निर्णय तक पुख्ता किया जावें। पत्रावली आयन्दा दिनांक 10.09.2018 वास्ते जबाब प्रा0प0 पेश हो। SDO	८७३ २४/८/१८
10/9/18	पत्रावली पेश हुई आज S.D.O. साहब दौरे पर, दिगर कार्य में व्यस्त वकीलों द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित रखने से पत्रावली आयन्दा दिनांक २३/11/ 2018 को पेश हो	भागूराम
23/11/18	वकील मय वादीगण द्वारा मूल वाद में पत्रावली तलबी का प्रा. पत्र पेश करने से पत्रा. आज पेश हुई। चूंकि वादीगण का वाद नहीं वाद लाने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए जरिये विड्रोल खारिज किया जाता है	कुंदाराम धर्माराम शावरलाल मनोहरलाल घीसाराम

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	सायलान का मूल वाद जरिये विड्रॉल खारिज हो जाने से अब इस प्रा० पत्र में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है अतः प्रभावहीन होने से सायलान का प्रा० पत्र नया प्रा० पत्र लाने का अधिकार सुरक्षित रखते हुये सायलान का प्रा० पत्र जरिये विड्रॉल खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर रेकार्ड/अभिलेखागार जावे। SDO